ISSN : 2278-5639
Impact Factor : 1.883
Volume - IV Special Issue-III March, 2016

J.T.S.S.P.M.

SHRI SHIV CHHATRAPATI COLLEGE

BODKENAGAR, JUNNAR - 410 502, DIST-PUNE

National Workshop
on
Human Rights and Vulnerable Groups
5 to 11 March, 2016

Chief Editor
Prof. Abhijit Patil

Offg. Principal
Dr. Bhaskar Shelke

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal (GOEIIRJ) Nashik Road, Nashik-422101.

Scanned by CamScanner

National Workshop on

HUMAN RIGHTS AND VULNERABLE GROUPS

Proceeding

@ All rights reserved .No part of this publication may be transmitted, in any form or any without permission any person who does any unauthorized Act in relations to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claim for damages. The facts, figure and views contained in various papers and abstracts being published in this book are obliviously given by the author of the papers. The editor is not responsible for the statements made or the opinions expressed by the authors.

Date Of Publication : 05 March, 2016

Publisher :
Mr. Ramraje Rakesh Ashok (09922444833)

Printers :
Vibhav Enterprises (9423973169)
Nashik.

ISSN : **2278 – 5639**

Publication :
Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal (GOEIIRJ),
A2, Yogeshwar Park Apamment, Ingale Nagar, Jail Road,
Nashik Road, Nashik - 422101. Maharashtra.
Email ID: goeiirj@gmail.com.
Web : www.goeiirj.com

Scanned by CamScanner

Sr. No.	Title of the Article & Author	Page No.
34	मानवी अधिकार आणि महिला सबलीकरण प्रा. डॉ. सौ. वंदना विनायक नढे	115
35	पारधी जमात आणि मानवी हक्क सहा. प्रा.रणदिवे टी.वाय. सहा.प्रा.सुपेकर व्ही.पी.	117
36	स्त्रिया आणि मानवी हक्क डॉ. वैजयंतीमाला जाधव	119
37	भारतीय संविधान आणि मानवाधिकार प्रा. चव्हाण जी. पी.	121
38	मानवी हक्क व भारतीय स्त्रीयांची बदलती स्थिती प्रा. भाऊसाहेब सांगळे	123
39	भारतीय कशामगारांच्या समस्या प्रा. डॉ. प्रमोदिनी विठ्ठल कदम	125
40	महिला हक्क आणि कायदे प्रा. डॉ. राहुल यशवंत माने	128
41	पारधी अधिकारांची मौलिकता : एक विवेचन प्रा. डॉ. उगले ए. बी.	132
42	मानवी हक्क आणि भटके विमुक्त समाज प्रा. मुळूक एस.एस.	134
43	भारतीय मानवी हक्काचे उल्लंघन प्रा. खोपले डी. एल.	136
44	वृद्ध आणि मानवी हक्क प्रा. नवनाथ नागरे	140
45	स्त्रीवाद आणि मानवी हक्क प्रा. काळे संजय अंकुश	143
46	पारधी हक्क व महिला : भारतीय वस्तुस्थिती काळे अविनाश राजाभाऊ विशाल व्यंकट रणखांब	146
47	मानवी अधिकार आणि आदिवासी समाज प्रा. प्रदिप वि. देशपांडे	149
48	विकलांग आणि मानवी अधिकार प्रा. डॉ. सुहास आव्हाड	155
49	अपंग व्यक्तींचे मानवी हक्क आणि भारत सरकारची भूमीका : एक चिकित्सक अभ्यास किर्तीकर वाल्मीक भीमराव	158
50	भारतीय संविधान में मानवाधिकारों का महत्व डॉ. नारायण पोहकर	161
51	मानवाधिकार : अल्पसंख्यांक और भारतीय राजनीति डॉ. जी. आर. अवचार	164
52	व्यक्ति की गरिमा और मानव अधिकशार डॉ. बाबासाहेब माने	167

Scanned by CamScanner

Impact Factor : 883 (IIFS) Peer-Reviewed Journal { Bi-Monthly} ISSN 2278 – 5639
Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal (GOEIIRJ),
Volume - IV, Special Issue - III, March - 2016

५२

व्यक्ति की गरिमा और मानव अधिकार

डॉ. बाबासाहेब माने
अध्यक्ष, हिंदी विभाग, श्री शिव छत्रपती महाविद्यालय, जुन्नर, पुणे

मानव सभ्यता का विकास जैसे–जैसे होता गया, वैसे–वैसे उसमें वैचारिक एवं चेतनागत जागृति आती गई और वह अपने प्रकृतिगत जीवन के हक्कों एवं अधिकारों के लिए विद्रोह करने लगा। पाश्चात्य जगत में मानव की गरिमा को सर्वाधिक चोट पहुँची। चूँकि वहाँ की राजनैतिक सत्ता पर आसीन नरेश स्वयं को ईश्वर के वंशज के रुप में प्रतिष्ठित करने लगे थे और अपने अधीन नागरिकों पर अन्याय एवं अत्याचार करने लगे थे । फलस्वरुप वहाँ की जनता को विद्रोह करना पडा । इसका नतीजा यह हुआ कि १५५८ से १६८८ तक इंग्लैड में गौरव क्रांति चली। १७७५ से १७८३ में अमेरिका में स्वाधीनता क्रांति चली और १७८९ से १७९९ तक फ्रांस की राज्य क्रांति चली । इन क्रांतियों में बहुसंख्य नागरिकों के अधिकारों का हनन हुआ था। इन क्रांतियों का लक्ष्य एक नवीन सामाजिक दर्शन स्थापित करना था और इसमें मानवीय गरिमा को प्रधानता दी गई थी। अतः इनमें मानवीय गरिमा को उभार मिला था। भारत में प्राचीन काल से मानवीय गरिमा को अहमियत दी गई है। भारतीय चिंतना में भी समय–समय पर राज्यीय व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था माना गया है। परंतु "सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया" इस उक्ति के द्वारा मानवीय गरिमा या मानवता को प्रधानता कमाधिक मात्रा में मिलती रही है । कल्याणकारी राज्य की संकल्पना इसी तरह की उक्तियों के परिणाम स्वरुप प्राचीन भारतीय राजनैतिक व्यवस्था से लेकर अब तक जारी है । भारत पर बाहरी आक्रमणों का दबाव बार–बार रहा है । इन बाहरी आक्रमणों के चलते यहाँ के मनुष्य की गरिमा को समय–समय पर चोटिल भी होना पडा है। मुस्लिम और अंग्रेजी हुकूमत के चलते भारत में भी मानवीय गरिमा को पुनः स्थापित करने हेतु प्रयास करने पडे है । इस संदर्भ में डॉ. कश्ष्ण कुमार शर्मा लिखते हैं कि – "भारत भी दुर्भाग्य से विदेशी शक्तियों से शासित और पराधीन हो गया और विदेशी शासन ने मानवीय गरिमा की भारतीय मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया । विश्व की प्रमुख क्रांतियों से प्रेरणा ग्रहण कर भारत में भी लगभग एक शताब्दी तक स्वाधीनता के लिए क्रांति होती रही और स्वाधीनता के पश्चात् जिस नये संविधान ने जन्म लिया उसमें मानवीय गरिमा का पुनः प्रतिष्ठित किया गया।" १ भले ही आजादी के बाद भारतीय संविधान के द्वारा मानवीय गरिमा को प्रतिष्ठा मिल गई है , परंतु आजादी के पूर्व कई शताब्दियों तक भारत में मानवीय गरिमा को आघात होता रहा है । इसे भूला नहीं जा सकता । फलस्वरुप आजादी के बाद भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एवं संवैधानिक व्यवस्था में भारतवासियों के जीवन की गरिमा बढाने हेतु से उन्हें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि कई तरह के आधिकार प्रदान किए हैं ।

सोहलवीं, सत्रहवीं शताब्दी में मानवीय गरिमा को पाश्चात्य एवं भारतीय राजनैतिक व्यवस्था में तब प्रधानता मिलने लगी, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई । औद्योगिक क्रांति की शुरुआत और वैज्ञानिक सोच के फलस्वरुप व्यक्ति के अधिकारों के आधार पर अधिकारों का संरचनात्मक स्वरुप उभरने लगा । भिन्न–भिन्न क्रांतियों और दो विनाशकारी विश्व युद्धों के फलस्वरुप व्यक्ति एवं मानवीय अधिकारों को राज्यीय एवं सार्वभौमिक रुप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । द्वितीय विश्वयुध्द के बाद विश्व के विभिन्न देशों में अनेक सामरिक संधियाँ हुई जिनमें नाटो, सीटो, एन्जुस, वारसा, अरब लीग, बगदार समझौता, केंद्रीय संधि संगठन (सैण्टो) आदि को शामिल किया जा सकता है। इन संधियों के कारण परस्पर हितों की रक्षा एवं मानवीय गरिमा का जतन करने की बात कही गई । द्वितीय विश्व युध्द में जपान के नागासाकी और हिरोशिमा में हुए विनाशकारी नरसंहार की वजह से व्यक्ति की गरिमा को प्रमुखता देने की बात जोर पकडी और अगली पीढ़ियों को युद्धों से बचाने की बात कही गई । इस बाबत डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा लिखते हैं कि –"नागासाकी और हिरोशिमा की दुखान्तिका से त्रस्त विश्व ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में ही एक विश्व संघ की स्थापना का संकल्प ले लिया और २४ अक्टूबर, १९४५ ई. को संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हो गया । "२ इसी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने १० दिसंबर, १९४८ को मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा कर दी । इसलिए प्रति वर्ष संपूर्ण विश्व १० दिसंबर को "अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस" के रुप में मनाता है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में पुरुषों एवं महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि जन्मता सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं । उन्हें अपने अधिकारों को प्राप्त करने में लिंग, नस्ल, वर्ण, भाषा, धर्म, राजनीति, राष्ट्रीयता और सामाजिक उत्पत्ति आदि आधारों पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा । घोषणाओं को मंजूरी देने के पश्चात् दो

Scanned by CamScanner

अंतर्राष्ट्रीय पतिज्ञा पत्रों को प्रस्तुत किया गया । जिसमें पहले प्रतिज्ञा पत्र का संबध नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से है और दूसरे का नागरिकों के नागरिक एवं सामाजिक अधिकारों से है । इस बाबत ललित चतुर्वेदी लिखते हैं कि "१६ दिसंबर , १९६६ को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इन पतिज्ञा पत्रों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया था । इन्हें ३ जनवरी, १९७६ एवं २३ मार्च, १९७६ को लागू किया गया।" ३ इन प्रतिज्ञा पत्रों में तीस अनुच्छेदों में अनेक मानव अधिकारों की चर्चा की गई है । या मानक अधिकार प्रदान किए गए हैं । जिनमें स्थूल रुप से हम अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सुरक्षा का अधिकार, बंधुआ मजदूरी निषिध्दता, शारीरिक यातना न देना, बिना किसी भेदभाव के कानूनी सुरक्षा का अधिकार, देश छोड़ने एवं वापस आने का स्वातंत्र, सरकारी नोकरियों को प्राप्त करना, शिक्षा पाना, बच्चे को जीने का अधिकार, उसकी देखभाल एवं पोषण का अधिकार, उसे स्वास्थ्य सुविधाएँ पाने का अधिकार, बच्चे को शिक्षण में समान अवसर पाने का अधिकार एवं उनकी भलाई के कानूनी सुरक्षा का अधिकार आदि आधिकारों का उल्लेख कर सकते हैं । इन अधिकारों से व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं मानवीय गरिमा को वृद्धिगंत कर उसके जीवन को शांति, सुरक्षा, सुख एवं समृद्धता देने के पक्ष में उचित कदम उठाया गया है । इन्हीं अधिकारों से मिलते–जुलते या इनके अतिरिक्त कई अन्य अधिकार विविध देशों के संविधानों में भी अपने देशवासियों के लिए लागू किए गए हैं। जों व्यक्ति की गरिमा को उच्चता प्रदान करते हैं । भारतीय संविधान में भी लगभग प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों का जतन एवं सुरक्षा करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं । भाषा, जाति, धर्म एवं क्षेत्रियता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकारों से वंचित नहीं रखा गया है। मानवीय गरिमा को सुरक्षित रखने की दशष्टि से भारतीय संविधान में अनेक नैतिक एवं कानूनी अधिकारों को शामिल किया गया है । जों यहाँ के नागरिकों को सुरक्षा एवं हितों के रक्षण की दृष्टि से आवश्यक एवं उपयोगी है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद १५ में जाति, रंग, भाषा, धर्म राजनीति आदि किसी भी तरह का भेद किए बिना सभी व्यक्तियों को सभी अधिकार और स्वतंत्रता की समानता दी गई है। अनुच्छेद १६ के अनुसार सभी को सरकारी पदों पर नियुक्ति का अधिकार , अनुच्छेद १९ (१) के अनुसार भाषा एवं संस्कशति के रक्षण का अधिकार, अनुच्छेद १९ से लेकर २२ तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद २३ और २४ के अनुसार सभी को शोषण के विरुध्द अधिकार, अनुच्छेद २५ में व्यवसाय और धर्म आदि की स्वतंत्रता, अनुच्छेद ४५ में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आदि अधिकारों से भारतवासियों की गरिमा को बढाने का विधिवत प्रयास किया गया है । यह प्रयास आज भी लगातार जारी है और जब तक संविधान चलता रहेगा तब तक यह जारी रहेगा । इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती ।

संदर्भ सूची :

१) मानवाधिकार विश्वकोश (खंड ९) : डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा, पृ. 5
प्रथम संस्करण : २०११
अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दरियागंज, नई दिल्ली ।
२) वही , पृ. ७५
३) मानवाधिकार एवं कर्तव्य : ललित चतुर्वेदी , पृ. ७
प्रथम संस्करण : २०११
रितु पब्लिकेशन्स, आमेर रोड, जयपुर ।

Scanned by CamScanner

J.T.S.S.P.M.

SHRI SHIV CHHATRAPATI COLLEGE

BODKENAGAR, JUNNAR - 410 502, DIST-PUNE

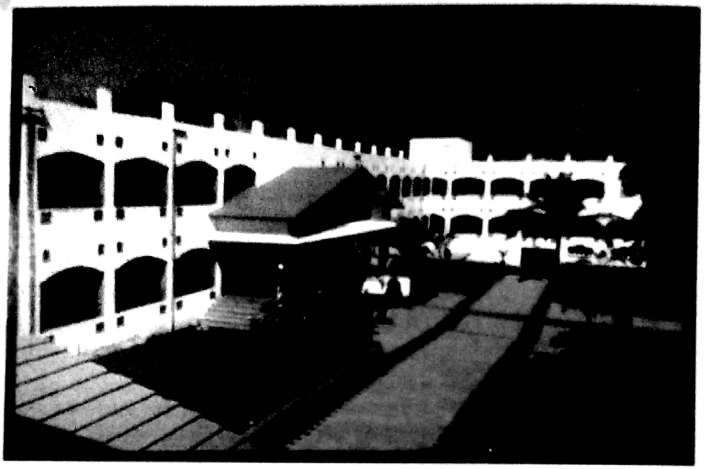

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal GOEIIRJ)
www.goeiirj.com

ISSN-2278-5639

Scanned by CamScanner